



दिनांक: 24.01.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरुद्ध कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 40 पच्चे/फ्रुटी अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम व मिशन शक्ति टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गस्त के दौरान शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले अभियुक्त **मौ० अकबर उर्फ शहंशाह पुत्र नजीर अहमद निवासी मोहल्ला कुरैशी, मस्जिद के सामने वाली गली, थाना कोतवाली अमरोहा नगर जिला अमरोहा** को सुल्तानपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 40 पच्चे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा ३० प्र० मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 26/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मौ० अकबर उर्फ शहंशाह पुत्र नजीर अहमद निवासी मोहल्ला कुरैशी, मस्जिद के सामने वाली गली, थाना कोतवाली अमरोहा नगर जिला अमरोहा।

बरामदगी का विवरण:-

➤ कुल 40 पच्चे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा ३० प्र० मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:

- 1- उ०नि० विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 2- म०उ०नि० सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 3- है०का० 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.01.2026

-प्रेस नोट-

□ सहारनपुर पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही — धारा 107

बीएनएसएस में सम्पत्ति कुर्क □

थाना नानौता पुलिस द्वारा जय एग्रो बायो साइन्स प्रा0लि0 कम्पनी के माध्यम से किसानों के साथ जैविक खाद प्लाट लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 04 अभियुक्तों द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति एक कार महेन्द्रा XUV700 एक कार हुंडई VENUE व 16 लाख रुपये नगद को कराया कुर्क

कार्यवाही —

- अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति एक कार महेन्द्रा XUV700 एक कार हुंडई VENUE व 16 लाख रुपये नगद को अन्तर्गत धारा 107 बीएनएसएस के तहत जब्त की गई।
- कुल ₹42 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति व नगदी कुर्क।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही।
- अपराधियों में भय पैदा करने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अभियान।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति को जब्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत नानौता पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा जय एग्रो बायो साइन्स कम्पनी के नाम से जैविद खाद प्लाट लगाने को लेकर लोगो से धोखाधड़ी करने वाले 04 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 0073/25 धारा 61(2)/318(4)/316(2)/351(2)/352 बीएनएस व मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस पंजीकृत हुए थे जिनमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उक्त अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी कर अपराध से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 107 बीएनएसएस की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित करते हुए विवेचक व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा सशक्त पैरवी की गयी जिस पर माननीय न्यायालय अपर सविल जज (जू0डि0)/जे0एम, देवबन्द सहारनपुर ने अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से अर्जित चल सम्पत्ति/नगदी (मु0अ0सं0 73/25 में कुल एक कार हुंडई VENUE व 10 लाख रुपये नगद व मु0अ0सं0 182/25 में एक कार महेन्द्रा XUV 700 व 6 लाख रुपये नगद) जिसकी कुल कीमत लगभग ₹42,00,000/- (बयालिस लाख रुपये) है, को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त कार्यवाही थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0073/25 धारा 61(2)/318(4)/316(2)/351(2)/352 बीएनएस व मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण जिनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गयी —

अभियुक्तगण का विवरण —

1. सुशील कुमार पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम विलासपुर थाना गंगोह सहारनपुर हाल न्यू आवास विकास कालौनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. संजीव कुमार पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बालू माजरा निवासी बडगांव जिला सहारनपुर
3. भंवर सिंह पुत्र महीपाल निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. अमित धीमान पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा सहारनपुर

उक्त अभियुक्तगण द्वारा जालसाजी/धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अवैध साधनों से अर्जित संपत्ति को ट्रेस कर नियमानुसार कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण—

1. एक कार महेन्द्रा XUV 700
2. एक कार हुंडई VENUE
3. 16 लाख रुपये नगद (घटना से सम्बन्धित)

सम्पत्ति कुर्क कराने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 988 प्रदीप थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा, पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए

01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मो0सा0 बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 25.12.2025 को वादी श्री कुलदीप पुत्र स्व0 रेशपाल चन्द निवासी इन्द्रा कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस रजि0नं0 UP 11BN 5178 चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 551/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व मुकदमा उपरोक्त की घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.01.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 शातिर चोर/अभियुक्त **मोहित पुत्र किले सिंह निवासी शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को देहरादून अम्बाला हाईवे अण्डर पास के नीचे नकुड रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से उपरोक्त मुकदमा से संबंधित मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस रजि0नं0 UP 11BN 5178 बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र किले सिंह निवासी शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ मोटर साईकिल स्पेलण्डर प्लस रजि0नं0 UP 11BN 5178

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 216/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सरसावा, सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 252/25 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बीएनएस थाना सरसावा, सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 298/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सरसावा, सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 551/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सरसावा, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 3- है0का0 661 सम्राट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 4- का0 07 सुमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

5-का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 24.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा महिला को बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2025 को वादी श्री निवासी ग्राम दीनारपुर कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर अपनी पत्नी का घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर गुमशुदगी नं0 31 पंजीकृत करायी थी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन मुस्कान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.01.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा महिला को क्षेत्र कोतवाली जगाधरी चौकी बुढीयागेट जिला यमुनानगर हरियाणा से सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।



दिनांक 24.01.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 4,20,000/- रु0) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.01.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मुस्ताहिद उर्फ भूरा पुत्र जलील निवासी ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जिला सहारनपुर को विद्यार्थी तिराहे से पशु पैठ जाने वाले रास्ते पर बिजली घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 50/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त मुस्ताहिद उर्फ भूरा उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्ताहिद उर्फ भूरा पुत्र जलील नि0 ग्राम कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 21 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1330 परविंदर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 60 शैलेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 03 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्तगण 1.इरशाद पुत्र जमालूद्दीन निवासी ग्राम बेगीबांस देवा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2.आबिद पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3.एहसान पुत्र रहीस निवासी ग्राम बेगीबास थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को लखनौती रोड से ग्राम बुढाखेडा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से तीन नाजायज चाकू बरामद हुए। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-51/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इरशाद पुत्र जमालूद्दीन निवासी ग्राम बेगीबांस देवा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. आबिद पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. एहसान पुत्र रहीस निवासी ग्राम बेगीबास थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 03 नाजायज चाकू

अभियुक्त आबिद का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 326/18 धारा 147/148/149/160/307/323/324/332/336/353 भादवि थाना गंगोह, स0पुर
2. मु0अ0सं0 188/22 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आदित्य भाटी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. का0 1929 जब्बाद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.01.2026

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारन्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.01.2026 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गैर जमानती वारन्टी अभि० बालेन्द्र पुत्र पालेराम निवासी नयांगांव उर्फ नयाबास थाना रामपुर मनि० सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं०-274/23 मु०अ०सं० 150/20 धारा 272/273 भा०द०वि० चालानी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

01. बालेन्द्र पुत्र पालेराम निवासी नयांगांव उर्फ नयाबास थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. पीआरडी प्रमोद कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर



दिनांक: 24.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के तहत जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 81 मुकदमों सम्बन्धित माल की विनिष्टिकरण कर कुल 1,13,419/- रुपये की धनराशि को राजकीय कोष में जमा करायी गयी

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थानों पर लम्बित मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री मनोज कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, श्री संजय कुमार नायब तहसीलदार सदर सहारनपुर की अध्यक्षता में एवं सहायक अभियोजन अधिकारी की मौजूदगी में एवं थाना प्रभारी जनकपुरी श्री विनोद कुमार मिश्रा, व०उ०नि० श्री प्रदीप कुमार चीमा व हेड़ मोहर्रिर 50 विशाल मलिक थाना जनकपुरी सहारनपुर के द्वारा दिनांक 24.01.2026 को वर्ष 2003 से 2021 के जुआ अधि० से सम्बन्धित 81 मुकदमों में कुल 1,13,419/- रुपये की धनराशि राजकीय कोष में जमा करायी गयी और मुकदमों से सम्बन्धित माल एवं सट्टा पर्चा, गत्ता, पेंसिल को थाना परिसर में एक तसले में रखकर विनिष्टिकरण कराकर माल का निस्तारण किया गया।

विनिष्टिकरण कराये गये माल का विवरण:-

➤ जुआ अधि० के अभियोगों से सम्बन्धित सट्टा पर्चा, गत्ता, पेंसिल

माल निस्तारण हेतु गठित टीम के सदस्यों के नाम-

1. श्री मनोज कुमार यादव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर
2. श्री संजय कुमार नायब तहसीलदार सदर, सहारनपुर
3. सहायक अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर
4. श्री विनोद कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी, सहारनपुर
5. व०उ०नि० श्री प्रदीप कुमार चीमा, व०उ०नि० थाना जनकपुरी, सहारनपुर
6. हेड़ मोहर्रिर 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी, सहारनपुर